संख्या-42/2019/862/71-2-19-पी-19/2011

प्रेषक,

ज्ञानेश्वर त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 09 मई, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में संस्थान में बी0पी0एल0/अन्त्योदय कार्ड धारकों, लावारिस/विपन्न मरीजों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पी0जी0आई0/सी0एम0एस0एस0ओ0/आर0पी0एस0 /656/ 2018 दिनांक 15-04-2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में एस0जी0पी0जी0आई0 में बी0पी0एल0/अन्त्योदय कार्ड धारकों, लावारिस/विपन्न मरीजों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए राजस्व लेखा में 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 1,00,00,000/- (रूपया एक करोड मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त सहित प्रदान की जा रही है कि 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) से स्वीकृत धनराशि का आहरण, आवश्यकतानुसार एवं व्यय, नियमानुसार किया जायेगा।

3- धनराशि उसी मद में खर्च की जायेगी जिसके लिये इसकी स्वीकृति दी जा रही है। अन्य मद में खर्च वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-03-2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

4- प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा एवं गत वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं लाभार्थियों की सूची 15 दिनों में शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त धनराशि के उपयोग की स्थिति से भी अवगत कराया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0310-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में बी0पी0एल0/अन्त्योदय कार्ड धारकों, लावारिस/विपन्न मरीजों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-1/2019-बी/1-170-दस/2019/231-2019, दिनांक 22-03-2019 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ज्ञानेश्वर त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या-42/2019/862(1)/71-2-19-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0
7. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in